

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, गरुड़ परिक्षेत्र ग्राम माल्दे, नौघर, भकुनखोला, गढ़सेर, पाये, दर्शानी, सिल्ली, मटेना, फुलवाड़ीगूँठ, मेलाडुंगरी एवं थान डंगोली, तहसील गरुड़, जिला बागेश्वर के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ में गरुड़ ग्राम समूह पंम्पिंग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.319 हे0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम (प्रयोक्ता एजेन्सी) परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
स्वरीय वन अधिकारी समिति
उपखण्ड

तहसील गरुड,

जनपद-बागेश्वर

प्रतिलिपि:—जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति

तहसील गरुड

जनपद-बागेश्वर

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

प्रश्न
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गरुड़ (बागेश्वर)

~~10~~

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र

तहसील जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 के निर्माण हेतु कुल वन भूमि - 0.319 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में नाप भूमि - 0.049 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विमोला, माल्दे नौधार, अकमोला, जहोरा, पाये कुर्गी, सिमली, गरीना, फूलवाडी गढ़, मेलाइगरी, चानडोली एवं द्वारा दिनांक 22.07.18

को सम्मपन ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्वन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी । यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा या कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो पा रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम विमोला, माल्दे, अकमोला, गरीना, फूलवाडी गढ़, मेलाइगरी, चानडोली, सिमली, गरीना, फूलवाडी गढ़, मेलाइगरी, चानडोली को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है ।

ह0 /

ग्राम सचिव

वाक्य-...

ग्राम पंचायत मटेना

वि० ख० गरुड़ (बागेश्वर)

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित होगी है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय । उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1.6

प्रपत्र-30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर -

2. प्रभागीय वनाधिकारी -

3. जिला पंचायत सदस्य

4. जिला पंचायत सदस्य

5. जिला पंचायत सदस्य

6. जिला समाज कल्याण अधिकारी

आज दिनांक

01/06/2019

को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक

जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक

11/01/2019

द्वारा

जामुंडी

ग्राम सह पम्पिंग पेयों के लिये 0.319 हे० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत

किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा

जामुंडी

समूह पेयों स्थापित किये जाने हेतु वन भूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वन भूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर उत्तराखण्ड पेयजल निगम

नैर वानकीय कार्य हेतु 0.319 हे० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा

ग्राम समूह पम्पिंग पेयों के निर्माण हेतु उक्त 0.319 हैक्टेयर भूमि को उत्तराखण्ड पेयजल निगम

प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गयी।

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य/सचिव

को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक

जामुंडी

ग्राम सह पम्पिंग पेयों के लिये 0.319 हे० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत

किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा

जामुंडी

समूह पेयों स्थापित किये जाने हेतु वन भूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वन भूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर उत्तराखण्ड पेयजल निगम

नैर वानकीय कार्य हेतु 0.319 हे० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा

ग्राम समूह पम्पिंग पेयों के निर्माण हेतु उक्त 0.319 हैक्टेयर भूमि को उत्तराखण्ड पेयजल निगम

प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गयी।

01/06/2019

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

बागेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी

बागेश्वर

01/06/2019

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

बागेश्वर

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

बागेश्वर

1.6
प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

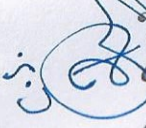
जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण हेतु 0.319 हे0 वन भूमि विशाल निगम बागेश्वर (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 11.9/98 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार प्रयोजनों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह व आदिकालीन कृषि समुदाय प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

दिनांक


जिलाधिकारी
बागेश्वर


कृषि दार
गरुड़ - बागेश्वर


जिलाधिकारी
बागेश्वर


उप जिलाधिकारी
गरुड़
जनपद-बागेश्वर (30.3)

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

बागेश्वर

2.24

प्रपत्र-28

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गरुड़ ग्राम समूह ग्रामीण पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण में ग्राम पंचायतों / वन पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र


प्रधान

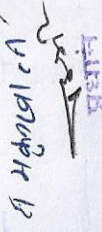
ग्राम पंचायत गढ़मै
वि0 ख0-गरुड़ (बागेश्वर)



ग्राम पंचायत गढ़मै
वि0

स्थान:-

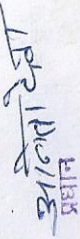
दिनांक:-


प्रधान

ग्राम पंचायत गढ़मै
वि0 ख0-गरुड़ (बागेश्वर)

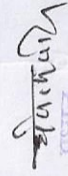

प्रधान

ग्राम पंचायत गढ़मै/खडेरिया
वि0 ख0-गरुड़, जि0-बागेश्वर


प्रधान

ग्राम पंचायत फुलवाडी-गुँठ बैजनाथ
वि0 ख0-गरुड़ (बागेश्वर)

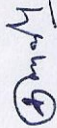
ह0


प्रधान

ग्राम प्रधान/सरपंच
की मुहर

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

नोट- परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक आम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।


प्रधान

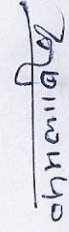
ग्राम पंचायत गढ़मै
वि0 ख0-गरुड़ (बागेश्वर)


प्रधान

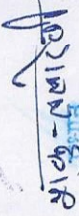
ग्राम पंचायत गढ़मै
वि0 ख0-गरुड़ (बागेश्वर)


प्रधान

ग्राम पंचायत गढ़मै
वि0 ख0-गरुड़ (बागेश्वर)


प्रधान

श्रीमती कमला बिष्ट
ग्राम पंचायत - मालदे
वि0 ख0-गरुड़ (बागेश्वर)


प्रधान

ग्राम पंचायत मटेना
वि0 ख0-गरुड़ (बागेश्वर)

2.24.1

वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

गुरुड उत्ता० सं० पंगिग मेयजल योजना के समोरेखण में वन पंचायत की ग्रामि आ रही है मेयजल योजना का निर्माण कार्य अति महत्वपूर्ण है अतः योजना के निर्माण में आने वाली वन पंचायत ग्रामि गुरुड गुरुड मेयजल सिगम बागेश्वर को हस्तान्तिरिक्त करने में कोई आपत्ती नहीं है।

स्थान:- ग्राम - सिल्ली

दिनांक:- 19.8.18

ह0 सरपंच वन पंचायत सिल्ली
की मुहर पो०/वि० ख० गुरुड

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर -

- 1 नमला गोलिया
- 2 दामोदर
- 3 विपमजिरी
- 4 विपमजिरी
- 5 विपमजिरी
- 6 विपमजिरी
- 7 विपमजिरी

रजत गुपल

गुमा

वन पंचायत पाये
वि० ख० गुरुड (बागेश्वर)

ह० सरपंच

की मुहर

नमला गोलिया

दामोदर

विपमजिरी

सरपंच

वन पंचायत फलदायी गुरुड बैरवा

विपमजिरी

विपमजिरी 4/105

विपमजिरी

विपमजिरी

विपमजिरी

गुरुड (बागेश्वर)

कमल राम

सरपंच

विपमजिरी

विपमजिरी

गुरुड 4/105

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

दिनांक 22.07.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत प्राप्ति निमोला, आरके नौधार, अकुनखोला, गढ़सेर, डगोनी सिमर
भटेना, फूलवाड़ीयेह, मेलाडुगरी, एंव धान डंगोली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मंगल दास	मंगल दास
2	मन्वीरशम	मन्वीरशम
3	हानिल फोहला	हानिल फोहला
4	रवि-शम	रवि-शम
5	दीपक शम	दीपक शम
	दयाल सिंह खेड़ा	दयाल सिंह खेड़ा
	मुन्दर सिंह खेड़ा	मुन्दर सिंह खेड़ा
	दुर्गादास	दुर्गादास
	राजेश कुमार	राजेश कुमार
	गणेश कुमार माला	गणेश कुमार माला
	अखत आरु	अखत आरु
	गोपाल सिंह नेमा	गोपाल सिंह नेमा
	आनन्द शम	आनन्द शम

1.6

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, गरुड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनावसी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गरुड़

उपखण्ड गरुड़, परिक्षेत्र ग्राम बिमौला, माल्दे, नौघर, भकुनखोला, गढ़सेर, पाये, दर्शानी, सिल्ली, मटेना, फुलवाडीगँठ, मेलाडुंगरी एवं थान डंगोली, तहसील गरुड़, जिला बागेश्वर के अन्तर्गत (0.168 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.124 सिविल सोयम भूमि, 0.027 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.319 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरुड़) की दिनांक 11/01/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुन्दर सिंह उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री सुन्दर सिंह उपजिलाधिकारी
2. श्री चन्दन सिंह टाप्पि उप प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्री दिनेश चन्द लोहानी सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री बी0डी0सी0 क्षेत्र

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य/सचिव

सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद मुख्यालय बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ में गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.168 हे0 आरक्षित वन भूमि परियोजना हेतु 0.319 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार को कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।